न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 142/2024

अनवान : —

1. सुरेश कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. पिरथीसिंह पुत्र महावीर जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
3. गोरादेवी पत्नी महावीर जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
4. सावित्री देवी पुत्री महावीर जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री मदनलाल कड़वासरा वादी
श्री लीलाधर अग्रवाल प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 84/73 की कुल 0.506है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं चक 9 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 76/69 की कुल 5.8190है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं चक 10 एएमएस के खाता सं0 68/57 की कुल 4.2880 है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2181/4288 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगें। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से जवाब पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सुरेश कुमार द्वारा मुख्य परीक्षण ... कर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया व प्रस्तुत दस्तावेज सही होना स्वीकार किया ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.12.20 10:23:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (ज़िला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 3 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 84/73 की कुल 0.506है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं चक 9 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 76/69 की कुल 5.8190है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं चक 10 एएमएस के खाता सं0 68/57 की कुल 4.2880 है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2181/4288 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 महावीर के साथ साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं0 3 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1–2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 3 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 84/73 की कुल 0.506है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं चक 9 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 76/69 की कुल 5.8190है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं चक 10 एएमएस के खाता सं0 68/57 की कुल 4.2880 है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2181/4288 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 महावीर के वादी व प्रतिवादीगण के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1–2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 3 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 84/73 की कुल 0.506है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं चक 9 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 76/69 की कुल 5.8190है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं चक 10 एएमएस के खाता सं0 68/57 की कुल 4.2880 है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2181/4288 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 महावीर अकेले की बजाए वादी सुरेश कुमार प्रतिवादी सं0 1 महावीर व प्रतिवादी सं0 2 पिरथीसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3–4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1–2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया [illegible] रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को मेरे द्वारा [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.12.20 10:23:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

<u>डिक्री</u>

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़</u>
<u>पीठासीन अधिकारी :– श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस</u>

मि0न0 – 142/2024

अनवान : –

1. सुरेश कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. पिरथीसिंह पुत्र महावीर जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
3. गोरादेवी पत्नी महावीर जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
4. सावित्री देवी पुत्री महावीर जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मदन कड़वासरा व वकील प्रतिवादीगण श्री लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 84/73 की कुल 0.506है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं चक 9 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 76/69 की कुल 5.8190है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं चक 10 एएमएस के खाता सं0 68/57 की कुल [illegible].2880 है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2181/4288 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में [illegible] प्रतिवादी सं0 1 महावीर व प्रतिवादी सं0 2 महावीर अकेले की बजाए वादी सुरेश कुमार प्रतिवादी सं0 1 महावीर व प्रतिवादी सं0 2 पिरथीसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित [illegible] है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1–2 के [illegible] य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व [illegible]टी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार रा[illegible] रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारा[illegible] अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .... को गेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.12.20 10:23:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner